HANS

PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 01

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।	
सत्र वाद संख्या- 1228/2025 सम्बद्ध सत्र वाद संख्या-1798/2025	
राज्य	**बनाम** कृष्णकांत यादव उर्फ गोलू आदि

नाम साक्षीः मधुवन पुत्र गंगाप्रसाद	**अपराध संख्या-29/2025**
उम्रः लगभग 73 वर्ष, पेशाः कृषि	**धारा- 85, 80(2), 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता**
पता साक्षीः ग्राम कसदहा (खुझिहा), थाना-बसखारी, जनपद-अम्बेडकर नगर	**थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात।**

<u>दिनांकः-03.02.2026</u>

मैं **साक्षीः मधुवन पुत्र गंगाप्रसाद, उम्रः लगभग 73 वर्ष, पेशाः कृषि, पता साक्षीः ग्राम कसदहा (खुझिहा), थाना-बसखारी, जनपद-अम्बेडकर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. मेरे दो पुत्र व चार पुत्रियाँ हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम सुरेन्द्र यादव है व छोटे बेटे का नाम प्रदीप यादव है। मेरे दोनों बेटे बाहर प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी अंजना है। उसके बाद वंदना, सुषमा हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम सीमा है।

2. मैंने अपनी बेटी सुषमा की शादी दिनांक 29.04.2024 को अपने घर से कृष्णकांत यादव उर्फ गोली निवासी-ग्राम बर्राठर्रा थाना रसूलाबाद के साथ दान-दहेज देकर की थी। मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज में सोने की एक अंगूठी, सोने की चेन, दो लाख रुपये नकद व घर-गृहस्थी का सारा सामान दिया था। मेरी बेटी सुषमा के ससुरालीजन दिये गये दान-दहेज से खुश नहीं थे। सुषमा का पति कृष्णकांत उर्फ गोलू, जेठ शैलेन्द्र, देवर श्रीकांत उर्फ भोलू, ससुर रामऔतार, सास प्रेमा, जेठानी कल्पना व ननद गायत्री, मेरी बेटी सुषमा को विदा कराने के लिए मना कर दिया था। हमलोगों ने नाते-रिश्तेदारों से कहलवाकर अपनी बेटी सुषमा को उसके ससुरालीजन से विदा कराने के लिए कहा था तब शादी के लगभग छह माह बाद नवरात्रि में मेरी बेटी सुषमा को विदा कराने उसका पति कृष्णकांत यादव उर्फ गोलू व देवर श्रीकांत उर्फ भोलू आये थे। जब ये दोनों लोग मेरी बेटी सुषमा को विदा कराने आये थे तब मैंने तीस हजार रुपये सुषमा के पति कृष्णकांत को दिये थे और

कहा था कि गन्ना की फसल बेचने के बाद सत्तर हजार रुपये और दूंगा। इसके बाद ये दोनों लोग मेरी बेटी सुषमा को विदा कराकर ससुराल ले गये थे।

3. बेटी सुषमा को ससुराल ले जाने के कुछ दिन बाद से उक्त ससुरालीजन उससे अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग करने लगे। सुषमा के मना करने पर उक्त ससुरालीजन उसे मार-पीटकर प्रताड़ित करते थे। यह बात सुषमा ने हमलोगों को फोन से बतायी थी तब हमलोगों ने सुषमा को समझाया था कि नई-नई शादी है, आगे सब ठीक हो जायेगा। लेकिन सुषमा के ससुरालीजन नहीं माने और अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग करते रहे।

4. दिनांक 21.01.2025 की शाम लगभग छह बजे मेरी बेटी सुषमा के ससुर रामऔतार ने फोन कर मुझे सूचना दी थी कि सुषमा की हालत गंभीर है, उसे आकर देख जाओ। इस सूचना पर मैं व मेरे बेटे व परिवार के लोग व रिश्तेदार रात्रि दस बजे बेटी सुषमा की ससुराल के लिए निकले थे और अगले दिन सुबह लगभग 11-12 बजे बर्राठर्रा पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि सुषमा की मृत्यु हो गई है और उसके ससुरालीजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। इनलोगों ने मेरे आने का इंतजार किये बिना ही उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

5. मेरी बेटी सुषमा की हत्या उसके पति कृष्णकांत उर्फ गोलू, जेठ शैलेन्द्र, देवर श्रीकांत उर्फ भोलू, ससुर रामऔतार, सास प्रेमा, जेठानी कल्पना व ननद गायत्री ने अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने के कारण कर दी है व उसके शव को नहर के किनारे अपने खेत में जला दिया है। वहाँ पर मौजूद गाँववालों ने मुझे यह बात बतायी थी।

6. इस घटना की तहरीर मैंने दिनांक 22.01.2025 को थाना रसूलाबाद में दी थी जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पत्रावली में शामिल मूल तहरीर को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **<u>प्रदर्श P-1</u>** अंकित किया गया।

7. घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

XXXXXXXX प्रतिपरीक्षा द्वारा समस्त अभियुक्तगण XXXXXXXX

स्थगन प्रार्थना-पत्र 800/- रुपये हर्जे पर इस निर्देश के साथ स्वीकृत कि इसके पश्चात अवसर नहीं दिया जायेगा।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा अंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT